

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास जिला सवाई माधोपुर  
पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार मीना आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर - 19/2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उन्वान

1. रामनाथ पुत्र कजोडया जाति मीना निवासी नाननवास तहसील बरनाला

-प्रार्थीया

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बरनाला

-अप्रार्थी

वकील प्रार्थी - श्री बनवारी लाल बंजारा एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :- 11-6-25

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काशत की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 346 रकबा 0.88 है० स्थित ग्राम नाननवास तहसील बरनाला में है। प्रार्थी की आराजी की अलग से डोल मेड बनी हुई है। प्रार्थीया अपनी उक्त आराजी पर कायिज रहकर फसल काशत कर लागान्वित होती चली आ रही है। प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 346 रकबा 0.88 है० स्थित ग्राम नाननवास तहसील बरनाला के आस पास के खातेदारान प्रार्थी को आये दिन परेशान करते रहते हैं। प्रार्थी के उक्त खेत की बनी हुई डोल मेड को आये दिन तोड़ते रहते हैं। मौके पर प्रार्थी के खेत के सीमा चिन्हों को गिटाते रहते हैं। इस वजह से प्रार्थी को पत्थर गद्दी करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी अकेला व बेसहारा व्यक्ति है। प्रार्थी के उक्त खेत के आस पास के खातेदारान आये दिन डोल मेड को तोड़कर परेशान करते रहते हैं। इस वजह से प्रार्थी की आराजी हाल खसरा नम्बर 346 रकबा 0.88 है० स्थित ग्राम नाननवास तहसील बरनाला की पत्थरगद्दी श्रीमान तहसीलदार द्वारा करवाया जाना न्यायहित में है। प्रार्थी बुजुर्ग व्यक्ति है तथा राही प्रकार से चलने फिरने की हालत भी नहीं है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी को समय समय पर ही सम्भाल पाती है। इसी का नाजायज फायदा उठाकर आस पड़ौसी खातेदारान प्रार्थी की कृषि भूमि में आये दिन काशत करने में व्यवधान पैदा करते रहते हैं। इस वजह से प्रार्थी को अपनी उक्त आराजी में पत्थरगद्दी करवाया जाना आवश्यक हो गया है। जिससे प्रार्थी की उक्त खातेदारी एवं कब्जे काशत की कृषि भूमि की मौके पर स्थिति स्पष्ट हो सकें। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खोतदारी एवं कब्जे काशत की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 346 रकबा 0.88 है० स्थित ग्राम नाननवास तहसील बरनाला की पत्थरगद्दी करवाने के लिए श्रीमान तहसीलदार बरनाला को आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी की ओर से अपने खाते की नकल जमाबंदी एवं तहसीलदार बरनाला की ओर से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्बत् 2074 से 2077 ग्राम नाननवास पटवार मण्डल गोठ भू०अ०निरीक्षक क्षेत्र बाटोदा तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 346 रकबा 0.88 है० स्थित ग्राम नाननवास तहसील बरनाला स्थित भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज

होकर है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। हमारे द्वारा बहस वकील प्रार्थीया की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते हैं तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम नाननवास पटवार मण्डल गोठ भूअ.निरीक्षक क्षेत्र वाटोदा तहसील वरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 346 रकबा 0.88 है० स्थित ग्राम नाननवास तहसील वरनाला भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू० अ० निरीक्षक वाटोदा को 1000/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरवदल नहीं किया जावे। अतः भू०अ०निरीक्षक वाटोदा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार वरनाला को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 11-6-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(सुनील कुमार मीना)  
उपखण्ड अधिकारी  
वामनवास (सवाई माधोपुर)